

प्रेषक,

मुख्यमंत्री  
11/12/18

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-पीलीभीत की 20 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4613/61/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत की नगर पंचायत, बिलसण्डा, गुलरिया भिण्डारा, न्यूरिया हुसैनपुर व न०३००५० पूरनपुर की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में सी०सी०/इन्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 20 परियोजनाओं हेतु रु० 328.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित एकमुश्त रु० 328.48 लाख (रुपये तीन करोड़ अट्ठार्हस लाख अड़तालिस हजार) की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्राप्तव्यमालिका/कांगड़ा/ए ए

FC  
12/12/18

FC एक प्री ए ए  
11/12/18

क्रमशः.....

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूड़ा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीषक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/वी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक- यथोक्त।

भृतीय  
०३/०५/१८

(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या-610 /2018/2055(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीणी उन्मत्तन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, पीलीभीत।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 610 /2018/2055(1)/69-1-18-169(म0ब0-83)/2018, दिनांक ८ दिसम्बर,  
2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	पीलीभीत	न०प०, बिलसण्डा	वार्ड नं०-०२ के मो० नियम बिजली घर में सुरेश राय के मकान से बाबूराम कश्यप के मकान तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.35	8.35
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०२ मो० नियर बिजली घर में आनन्द प्रजापति के मकान से बाबूराम एवं रामपाल के मकान तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	24.63	24.63
3	तदैव	न०प० गुलरिया भिण्डारा	वार्ड नं० ०५ में भिण्डारा रोड से अयासज व अयूब कबाड़ी के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	17.49	17.49
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०९ मो० मियां खां भाग-२ में झीका के मकान से नफीस व कल्लू के मकान से अद्वार के मकान तक इंटरलाकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	13.73	13.73
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०६ में डथनीडाम रोड से टनकपुर रोड तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	22.28	22.28
6	तदैव	न०प० न्यूरिया हुसैनपुर	वार्ड नं०-१० मो० तिगड़ी में समसुल के मकान से मकदुम शाह बाबा की मजाब तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	19.98	19.98
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०३ मो० नई बस्ती लाईन पार भाग-१ में जहीरुद्दीन के मकान से नत्थू के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	14.21	14.21
8	तदैव	न०प० गुलरिया भिण्डारा	वार्ड नं०-०९ गुलरिया में सुलेमान के घर से कल्लू खां के घर तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	19.01	19.01
9	तदैव	न०प० न्यूरिया हुसैनपुर	वार्ड नं०-१० मो० तिगड़ी में राजेश गुप्ता के प्लाट से अनूप गुप्ता के घर होते हुए राम निवास के घर तक व नेशनल राइस मिल से भारत राइस मिल तक इंटरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	18.81	18.81
10	तदैव	न०पा०प० पूरनपुर	वार्ड नं०-०८ गनेशगंज पूर्वी में कार्य कैसर कपड़े यालों के घर से सादिक हुसैन की दुकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	7.39	7.39
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-११ गनेशगंज पश्चिमी में डा० संतोष के चौक से नगर पालिका चौराहा तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य।	12.30	12.30
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०६ में साहूकारा लाईनपार में माधेटाण्डा रोड के किनारे सिंह किराना स्टोर से डा० बी०आर०एस० क्लीनिक तक इंटरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	8.49	8.49
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१९ व १४ में गनेशगंज पूर्वी में चन्द्रभान सिंह के घर	12.64	12.64

			से राम औतार पाण्डेय के घर एवं रामलीला रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।		
14	तदैव	न0पं0 बिलसण्डा	वार्ड नं0-02 के मो0 बिजली घर कालोनी में ओम प्रकाश के घर से तालाब तक एवं राम स्वरूप के मकान से नन्हे लाल के घर तक इण्टरलाकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	19.36	19.36
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02 में बिजली घर से सुशील शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	27.63	27.63
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02 में बी0धी0जी0 रोड से मुकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	18.30	18.30
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02 में बी0धी0जी0 रोड से मास्टर साहब के घर तक इण्टरलाकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	18.17	18.17
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02 के मो0 नियर बिजली घर कालोनी में सियाराम के मकान से श्रीकृष्ण के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	6.92	6.92
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-02 मो0 नियम बिजली घर कालोनी में सियाराम के घर से धुंज बिहारी एवं राकेश के घर से शिव मंदिर तक इण्टरलाकिंग पेवर्स ब्लाक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	22.49	22.49
20.	तदैव	न0पं0 न्यूरिया हुसैनपुर	वार्ड नं0-05 व 10 के मो0 खेड़ा में मेन मार्केट से असगर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	16.30	16.30
योग				328.48	328.48

(रूपये तीन करोड़ अट्ठाइस लाख अड़तालिस हजार मात्र)।

  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।